रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082026-275591
CG-DL-E-19082026-275591

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4407] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 19, 2026/श्रावण 28, 1948
No. 4407] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 19, 2026/SHRAVAN 28, 1948

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2026

का.आ. 4587(अ).— केंद्रीय सरकार, आवश्यक खाद्य अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश जारी करती है, अर्थात-:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम चीनी (बड़े उपभोक्ताओं के लिए स्टॉक रखने की सीमा) आदेश, 2026 है।

(2) यह आदेश 1 सितंबर, 2026 से प्रवृत्त होगा और 30 नवंबर, 2026 तक प्रवृत्त रहेगा।

2. बड़े उपभोक्ताओं के लिए स्टॉक रखने की सीमा:(1) कोई भी बड़ा उपभोक्ता जो उत्पादन, उपभोग या उपयोग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रति माह दस मीट्रिक टन चीनी का उपयोग या उपभोग करता है, किसी भी प्रकार से ऐसे उपभोग या उपयोग के लिए पंद्रह दिनों से अधिक समय के लिए चीनी का स्टॉक नहीं रखेगा;

परंतु इस आदेश के उपबंध केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्थानीय निकाय से संबंधित किसी भी संस्था पर लागू नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण -इस आदेश के प्रयोजनों के लिए, बड़े उपभोक्ता से मिठाई विक्रेता, शीतल पेय निर्माता, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मिठाई विक्रेता या कोई अन्य संस्थागत खरीदार अभिप्रेत है जो चालू माह को छोड़ कर पिछले एक वर्ष के दौरान औसत मासिक खपत के रूप में कम से कम दस मीट्रिक टन चीनी का उपभोग करता है।

(2) प्रत्येक चीनी मिल द्वारा बड़े उपभोक्ता को विक्रय की गई चीनी की मासिक मात्रा, चाहे वह सीधे अथवा डीलरों के माध्यम से विक्रय की गई हो, का सत्यापन किया जाएगा और चीनी की खपत का अवधारण विक्रेताओं और/या खरीदारों द्वारा चीनी पर लागू सुसंगत संगत नामकरण प्रणाली (एचएसएन) कोड का उपयोग करके फाइल किए गए माल और सेवा कर रिटर्न के संदर्भ में किया जाएगा।

[फा. सं. 1(2)/2026-एसपी-I]

अश्विनी श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 19th August 2026

S.O. 4587(E) .— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) This order may be called the Sugar (Stockholding Limit of Bulk Consumers) Order, 2026.

(2) This order shall come into force on the 1st day of September, 2026, and shall remain in force upto the 30th day of November, 2026.

2. Stockholding limit of bulk consumers: (1) No bulk consumer using or consuming more than ten metric tons of sugar per month as raw material for production, consumption or use, in any manner shall keep in stock sugar for any period exceeding fifteen days for such consumption or use, as the case may be:

Provided that the provisions of this order shall not apply to any institutions belonging to the Central Government or the State Government or the Union Territory Administration or local body.

***Explanation*.** - For the purposes of this order, bulk consumer means confectioner, soft drink manufacturer, food processing industry, sweetmeat seller or any other institutional buyer consuming not less than ten metric tons of sugar as average monthly consumption during last one year excluding the current month.

(2) The monthly quantity of sugar sold by each sugar mill to the bulk consumer whether directly or through dealers, shall be verified and consumption of sugar shall be determined, with reference to the Goods and Services Tax returns filed by the sellers and/or buyers using the relevant Harmonised System of Nomenclature (HSN) Code applicable to sugar.

[F. No. 1(2)/2026-SP-I]

ASHWINI SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA